क्रमांक 34/88/79-5 जी0 एस0-I

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में,

(1) सभी विभागाध्यक्ष, अम्बाला तथा हिसार मण्डल के आयुक्त, सभी आयुक्त तथा उप-मण्डल अधिकारी, हरियाणा।

(2) रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़।

दिनांक चण्डीगढ़ 9 अक्तूबर, 1979।

विषय : तदर्थ आधार पर नियुक्त कर्मचारियों की सेवा अवधि में बढ़ौती।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि उपयुक्त विषय पर आपका ध्यान दिलाऊं और कहूं कि हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 3265-5 जी0एस0I-73/15225, दिनांक 15 जून, 1973 द्वारा विभाग को हिदायतें जारी की गई थीं कि जब भी किसी रिक्ति को तदर्थ आधार पर भरा जाये तो रिक्ति के भरने के बाद 15 दिन के अन्दर-अन्दर मांग-पत्र लोक सेवा आयोग/अधीनस्थ सेवाएं प्रवरण मण्डल को आवश्य भेजा जाये। इसमें यह भी लिखा गया था कि यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो आयोग/बोर्ड को अधिकार होगा कि वह 6 मास के आगे नियुक्ति जारी रखने की अनुमति न दे। क्योंकि इस समय बोर्ड के नये अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है, कठिनाई हो रही है कि तदर्थ आधार पर नियुक्त कर्मचारियों की सेवा को बिना बोर्ड की अनुमति से कैसे चालू रखा जाये। विचार उपरान्त सरकार ने निर्णय लिया है कि जिन तदर्थ आधार पर नियुक्त कर्मचारियों की सेवा को चालू रखने के लिए कोई भी अनुमति आवश्यक है, उन कर्मचारियों की सेवाओं को बोर्ड की अनुमति न प्राप्त होने के कारण समाप्त न किया जाये और उनको सेवा में बनाये रखा जाये, यदि इनके लिए पद उपलब्ध हो। परन्तु जब बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों के पद भरे जाएंगे और वे अपने कार्यभार को संभाल लेंगे, तो तदर्थ आधार पर नियुक्त कर्मचारियों के प्रत्येक केस में मामले को नियमित रुप देने हेतु बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।

2. यदि किसी तदर्थ आधार पर नियुक्त कर्मचारी की सेवा को बोर्ड की अनुमति प्राप्त न होने के कारण समाप्त की गई है, इस बारे जारी किए गए आदेशों को वापिस लेकर उन की नियुक्ति को जारी रखा जाए और उनकी सेवा में आए ब्रेक के लिए उनको देय अवकाश दे दिया जाए।

3. यह हिदायतें उन केसों में लागू नहीं होंगी जिनमें तदर्थ आधार पर लगे कर्मचारियों की सेवाएं प्रशासकीय कारणों से या पद उपलब्ध न होने के कारण समाप्त की गई हैं या की जानी हों।

हस्ता/-
अवर सचिव, सामान्य प्रशासन,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

पृष्ठांकन क्रमांक 34/88/79-5 जी0एस0 I दिनांक चण्डीगढ़ 9 अक्तूबर, 1979.

एक प्रति सचिव, अधीन सेवाएं प्रवरण मण्डल, हरियाणा को उनके पत्र क्रमांक 4040-3 आर-II-79/5134, दिनांक 10 सितम्बर 1979 के संदर्भ में सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।

हस्ता/-

एक एक प्रति :–

(1) वितायुक्त राजस्व एवं विकास; हरियाणा तथा

(2) सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार;

को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।

हस्ता/-
अवर सचिव, सामान्य प्रशासन,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

(1) वितायुक्त राजस्व एवं विकास हरियाणा;

(2) सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार।

अशा: क्रमांक 34/88/79–5 जी0 एस0–I दिनांक, चण्डीगढ़ 9 अक्तूबर, 1979.

एक एक प्रति :–

(1) प्रधान सचिव/उप प्रधान सचिव मुख्य मंत्री हरियाणा; तथा।

(2) सभी सचिव/निजी सचिव, सभी मन्त्रीगण, उप मन्त्रीगण,
मुख्य संसदीय सचिव तथा संसदीय सचिव;

को सूचनार्थ भेजी जाती है।

हस्ता/-
अवर सचिव, सामान्य प्रशासन,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

(1) प्रधान सचिव/उप प्रधान सचिव, मुख्य मंत्री हरियाणा;

(2) सभी सचिव/निजी सचिव, मंत्रीगण, उप मंत्रीगण, मुख्य
संसदीय सचिव तथा संसदीय सचिव।

अशा: क्रमांक 34/88/79–5 जी0 एस0–I दिनांक चण्डीगढ़ 9 अक्तूबर, 1979.